

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी- चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या- 13/2019

1. चेताराम पुत्र फुसाराम जाति साँसी निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

- अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित:- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांत

निर्णय

दिनांक:-03.01.2024



अपीलांत चेताराम पुत्र फुसाराम जाति साँसी निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा विरुद्ध निर्णय दिनांक 02.04.2019 प्रकरण संख्या 25/19 बअदालत उप तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील रावतसर जिसकी रूह से ग्राम धान्धुसर के ख0नं0 1086/1003 की 0.759 हैक्टेयर कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज काश्त मानकर 50 गुणा तावान राशि व तीन माह का सिविल कारावास की शास्ति अधिरोपित की गई को अपास्त किये जाने हेतु अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है-

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.04.2019 प्रकरण सं0 25/19 अनवानी स्टेट बनाम चेताराम प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट जिसके तहत रोही मौजा धान्धुसर तहसील नोहर के ख0नं0 1086/1003 की 0.759 हैक्टेयर कुल 0.759 हैक्ट भूमि गैर मुमकिन गोचर भूमि मानकर 50 गुणा तावान राशि व 3 माह का सिविल करावास की सजा अधिरोपित की गई है, जो विधि की अवहेलना में एक पक्षीय तौर से पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।
2. मातहत अदालत ने पटवार हल्का धान्धुसर द्वारा रिपोर्ट मय पी- 14 प्रस्तुत कर ख0नं0 1086/1003 की 0.759 हैक्टेयर भूमि गै.मु. गोचर भूमि पर अप्रार्थी ने सम्बत 2075 रबी की नाजायज फसल काश्त करना बताया है जबकि ग्राम धान्धुसर में सिंचाई का पानी नही लगता है तथा पीने का पानी की किल्लत रहती है। जो दूसरे गावों से लाना पडता है तथा रबी फसल पूरे गांव धान्धुसर में काश्त नही हुई। पटवारी हल्का ने एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार की है। मौके पर अड़ौसी पड़ौसियान गवाहान की कोई साक्ष्य नही ली। मातहत अदालत ने प्रकरण सुलझाने का कोटा बनाने के लिए झूठी पटवारी रिपोर्ट तैयार करवाई है। अपीलान्ट ने गोचर कभी काश्त नहीं की है तथा रबी में स्वयं की खातेदारी भूमि भी

03-01-2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

काशत नही की जो गिरदावरी तलव करके देखी जा सकती है। रोही मौजा धान्धुसर तहसील रावतसर पूरे गांव में रबी फसल 2075 में काशत नही हुई क्योंकि समस्त भूमि बारानी है। इसलिए अपीलाधीन बिना किसी जाँच साक्ष्य सबूत के कतई गलत व अनुचित तरीके से पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने दोनों फसल रबी व सावणी के लिए अतिक्रमी होकर उसे बेदखल करना बताया है जबकि अपीलान्त ने कभी भी नाजायज काशत नही की केवल मातहत अदालत ने अपने प्रकरण सुलटाने का कोटा बनाने के लिए उक्त कार्यवाही की है। ग्राम धान्धुसर बारानी गांव है। जो एक फसली भूमि है जिसमें केवल ग्वार-बाजरी ही काशत होता है। मातहत अदालत ने रबी फसल के लिए गलत तौर से तावान लगाकर सिविल कारावास की सजा दी है जबकि अपीलान्त ने कोई फसल गै.मु. गोचर भूमि में काशत नही की एवं गै.मु. गोचर छोड़ स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि काशत की ग्राम धान्धुसर की रोही में रबी फसल पूरे गांव में ही काशत नही हुई। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय तौर से पारित किया है तथा अपीलान्त को साक्ष्य सुनवाई का समुचित तौर से कोई अवसर नही दिया गया तथा पटवारी हल्का से टेबल रिपोर्ट तैयार करवाई है। पटवारी हल्का कभी खेत नही गया तथा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया मरगज का निशान किस बिन्दु को मानकार उक्त भूमि गै. मु. गोचर होना माना है। पैमाईश की लम्बाई चौड़ाई सिद्ध नही की। केवल नाजायज काशत लिखने मात्र से अपीलान्त को दोषी माना है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

5. मातहत अदालत ने अपीलान्त को गिरफ्तार कर उप कारागृह नोहर भिजवाने के आदेश जारी कर दिये तथा भौतिक रूप से बेदखल की। उसकी खड़ी फसल कुर्की करने के व सार्वजनिक रूप से निलाम करने के आदेश पारित किये है। मातहत अदालत का अपीलान्त,

जो गरीब काशतकार है, को जानबुझकर बिना किसी अतिक्रमण किये गिरफ्तार करने का आदेश मनमाना है जबकि मौके पर कोई भूमि काशत नही की गई ना ही कोई फसल है, केवल पटवारी के झुठी एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

6. उक्त अपीलाधीन निर्णय का अपीलान्त को कोई ज्ञान नही था। दिनांक 30.4.2019 को अपीलान्त के विरुद्ध पुलिस थाना अधिकारी रावतसर गाडी में कुछ पुलिस की वर्दी में लोग आए तथा अपीलाधीन निर्णय का हवाला देकर गिरफ्तार करने की बात कही उस वक्त अपीलान्त घर पर नही था। अपीलान्त के बच्चे व पत्नी थे जो पुलिस को देखकर रोने लगे गये। अपीलान्त जब घर आया तो सारी उपरोक्त बाते अपीलान्त को बताई जिस पर अपीलान्त बिना किसी देशी के शीघ्रता से नकलें आदि प्राप्त कर ज्ञान से अन्दर मियाद



03.01.2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है। अपीलान्ट ग्रामीण अनपढ केवल मात्र साक्षर व्यक्ति है जिसे कानूनी पेचीदगियों का पता नहीं है। उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय केवल अपीलान्ट की मौजूदगी है। निर्णय में अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.04.2019 प्रकरण सं० 25/19 बअनवानी स्टेट बनाम चेताराम बअदालत उप तहसीलदार राजस्व पल्लु अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पल्लू से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट की ओर से श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर न्यायालय निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय का अध्ययन किया और पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही अतिक्रमी मानते हुए यह कार्यवाही की गई थी। परन्तु पटवारी/भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा कहीं भी सीमा ज्ञान नहीं किया गया कि उक्त वर्णित खसरा कहां तक है और क्या वास्तव में अपीलांट अतिक्रमी है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का द्वारा अधूरी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय कर दिया, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय में लिखा जाकर आज दिनांक 03.01.2024 को सरेइजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
03.01.2024
(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहरा (हनुमानगढ़)